**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1650

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**सर्दियों में विद्यालयों के समय में परिवर्तन**

**1650. श्री हिशे लाचुंगपाः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र, दिल्ली जैसे ठंडे क्षेत्रों में विशेषकर सर्दियों में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों के समय में परिवर्तन करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के पास है क्योंकि जल्दी सुबह का समय इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (ग): नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्‍चों को प्रारंभिक शिक्षा (8वीं कक्षा तक) पूरी करने तक पड़ोस के विद्यालय में नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 29 में यह प्रावधान है कि उपयुक्‍त सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा पाठ्यक्रम बनाते और प्रक्रिया का मूल्‍याकंन करते समय अन्‍य बातों के साथ-साथ बच्‍चे के सर्वांगीण विकास और उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के पूर्ण विकास पर विचार किया जाएगा। आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट आरटीई नियमों में एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 के लिए न्‍यूनतम 200 कार्यदिवसों और कक्षा 6 से 8 के लिए 220 कार्यदिवसों का प्रावधान है।

केन्‍द्रीय सरकार, केवल केन्‍द्र सरकार अथवा विधानसभा रहित संघ राज्‍यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा स्‍थापित, उसके स्‍वामित्‍व और नियत्रंण वाले विद्यालयों के संबंध में उपयुक्‍त सरकार है। अन्‍य मामलों में, राज्‍य सरकारें और संघ राज्‍यक्षेत्र सरकारें क्रमश: राज्‍य और विधानसभा वाले संघ राज्‍यक्षेत्र की सीमा के भीतर स्‍थापित विद्यालय के संबंध में उपयुक्‍त सरकार हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 9 अक्‍टूबर, 2014 के पत्र के जरिए सभी राज्‍य और संघ राज्‍यक्षेत्र सरकारों को बच्‍चों की रक्षा-सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा समवर्ती सूची में आती है और अधिकांश विद्यालय, राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र सरकारों के दायरे में आते हैं। आरटीई अधिनियम में यथाअधिष्‍ठापित पाठ्यचर्या के संबंध में मूल्‍य का आशय यह है कि बच्‍चों की सुरक्षा और समग्र विकास को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है। यह राज्‍य और संघ राज्‍यक्षेत्र का यह दायित्‍व है कि यह मौसम की स्‍थितियों जैसे क्षेत्रीय/स्‍थानीय मुद्दों का समाधान करने और तदनुसार स्‍कूलों की समयावधि विनियमित करने के लिए उपयुक्‍त कार्रवाई करें।

**\*\*\*\*\***